

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी:- जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:- 09/2013/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़

प्रार्थी

बनाम

आनन्दीलाल पुत्र गोमा हि. 4/5 विसुदेवी विमला आशा पुत्रियान गोमा हि. 1/5 जाति
दरोगा निवासी कोछोर तहसील दांतारामगढ़

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956



निर्णय

दिनांक:-28.08.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोछोर के आराजी ख0नं0 1312/2 रकबा 0.08 है0 बा-4, ख0 नं0 1313 रकबा 0.38 है. बा-4, ख0 नं0 1316 रकबा 0.07 है0 बा-4 की वर्तमान खातेदारी श्री आनन्दीलाल पुत्र गोमा हि. 1/5 जाति दरोगा नि. कोछोर के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम कोछोर तहसील दांतारामगढ़ की भूमि ख0 नं0 338 रकबा 41 किस्म नदी खाता संख्या 1 में सम्वत 2024-27 में दर्ज रिकार्ड थी। तहसीलदार के आदेश दिनांक 19.06.66 से उक्त भूमि श्री गोमा पुत्र गोपाल जाति दरोगा निवासी कोछोर को कृषि योग्य भूमि मानकर आवंटन कर दी गई। उक्त आदेश की पालना में उक्त भूमि श्री गोमा पुत्र गोपाल कोम दरोगा निवासी कोछोर के नाम नामान्तकरण संख्या 326 आदेश दिनांक 05.10.66 से गैर खातेदारी दर्ज हुई। नामा0 सं0 426 दिनांक 20.11.1983 से उक्त भूमि विरासत की खातेदार सावत्री बेवा गोमा व आनन्दीलाल सुरजमल पि0 गोमा कोम दरोगा के नाम दर्ज है। ना0सं0 740 दिनांक 18.11.2010 को उक्त भूमि विरासत से आनन्दीलाल सुरजमल पुत्रगण गोमा विसुदेवी विमला आशा पुत्रियान गोमा हि. 1/3 कोम दरोगा के नाम दर्ज हुई है। ना0सं0 789 दिनांक 18.11.2010 को उक्त भूमि विभाजन द्वारा सुरजमल पुत्र गोमा हि. 4/5 विसुदेवी विमला आशा पुत्रियान गोमा हि. 1/5 जाति दरोगा सा. कोछोर ख0नं0 1312/1 रकबा 0.54 है. बा-4 दर्ज हुई व आनन्दीलाल पुत्र गोमा हि. 4/5 विसुदेवी विमला आशा पुत्रियां गोमा हि. 1/5 जाति दरोगा ख0 नं. 1312/2 रकबा 0.08 है. बा-4, ख0नं0 1313 रकबा 0.38 है. बा-4 ख0नं0 1316 रकबा 0.07 है. बा-4 के नाम दर्ज हुई है। भू-प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0 नं0 334 रकबा से नये ख0 नं0 1312, 1313, 1316 किता 3 रकबा 1.07 है0 बा-4 दर्ज कर खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन नदी/नाला/झील/तालाब/चारागाह/जलाशयों की भूमि का आवंटन योग्य नहीं है। अतः तहसीलदार का आवंटन आदेश एवं ना0सं0 154 दिनांक 19.9.66 कानून की निगाह में अवैध एवं प्रभाव

नदी/नाला/झील/तालाब/जलाशयो/जलप्रवाह/जलस्थिर की भूमि दर्ज रिकार्ड थी जो पश्चातवर्ती भू-प्रबन्ध एवं भू- अभिलेख सहक्रियायें के तहत निजी खातेदारी/अन्यत्र दर्ज हो गई ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही कर ऐसी जलोढ गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्व रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन जलोढ भूमि दर्ज करने के निर्देश दिये है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के रिट सं. 1536/03 में पारित आदेश के क्रियान्वयन में रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार के आवंटन आदेश व नामान्तकरण संख्या 33 को निरस्त फरमाकर भूमि वादग्रस्त को सिवायचक गै.मु.नदी दर्ज करने के आदेश पारित करवाये।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम कोछोर सम्वत् 2024-2027 के मुताबिक खसरा नम्बर 338 भूमि की किस्म नदी दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 326 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 326 के द्वारा उक्त भूमि श्री गोमा पुत्र गोपाल कोम दरोगा निवासी कोछोर के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई। गैर खातेदार गोमा के फौत होने पर नामा० सं० 426 दिनांक 20.1.1983 से विरासत के आधार पर सावत्री बेवा गोमा व आनन्दीलाल सुरजमल पि० गोमा कोम दरोगा के नाम दर्ज कर दिया गया। इसके पश्चात् ना०सं० 740 दिनांक 18.11.2010 को उक्त भूमि विरासत से आनन्दीलाल सुरजमल पुत्रगण गोमा विसुदेवी विमला आशा पुत्रियान गोमा हि. 1/3 कोम दरोगा के नाम दर्ज कर दी गई। ना०सं० 789 दिनांक 18.11.2010 मुताबिक बंटवारा आदेश के सुरजमल पुत्र गोमा हि. 4/5 विसुदेवी विमला आशा पुत्रियान गोमा हि. 1/5 जाति दरोगा सा. कोछोर ख०नं० 1312/1 रकबा 0.54 है. बा-4 दर्ज कर दिया गया व आनन्दीलाल पुत्र गोमा हि. 4/5 विसुदेवी विमला आशा पुत्रियां गोमा हि. 1/5 जाति दरोगा ख० नं. 1312/2 रकबा 0.08 है. बा-4, ख०नं० 1313 रकबा 0.38 है. बा-4 ख०नं० 1316 रकबा 0.07 है. बा-4 के नाम दर्ज कर दिया गया। भू-प्रबन्ध के दौरान साबिक ख० नं० 334 से नये ख० नं० 1312, 1313, 1316 अंकित किये गये। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 के मुताबिक भूमि खसरा नम्बर 1312, 1313, 1316 की खातेदारी सावित्री बेवा गोमा आनन्दीलाल सुरजमल पि. गोमा जाति दरोगा सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2024-2027 के मुताबिक खसरा नम्बर 338 भूमि की किस्म नदी दर्ज है एवं उसके पश्चात् अप्रार्थीगण के नाम से गैर खातेदारी अथवा खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त भूमि की खातेदारी राज. सरकार नदी दर्ज होने के बावजूद गलत रूप से अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई। नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजी की किस्म नदी दर्ज है। जबकि नदी, नाला, तालाब का धारा 16 आरटीएक्ट से प्रतिबंधित ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दूल रहमान बनाम स्टेट में ऐसी अनियमितताओं को राजस्व मण्डल सजस्थान से निरस्त करवाने के आदेश भी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कोछोर तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 338 जिसके नये खसरा नम्बर 1312 रकबा 0.62 है०, खसरा नम्बर 1313 रकबा 0.38 है० व खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.02 है० कुल किता 3 रकबा 1.07 है० में अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है। मूल पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर को भेजी जाती है।